137/2021/1/123944/2021-71-2099/216/2019

प्रेषक,

मुमताज अहमद सिददीकी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 22 दिसम्बर, 2021

विषयः-के0जी0एम0यू0 के कम्युनिटी मेडिसिन एण्ड पब्लिक हेल्थ विभाग के अन्तर्गत बंथरा में हॉस्पिटल भवन व हॉस्टल भवन के निर्माण कार्य संबंधी प्रायोजना की अनुमोदित लागत के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि से कार्यदायी संस्था द्वारा जी0एस0टी0 मद में जमा की गई धनराशि की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-7197/योजना अनु0/2021, दिनांक 06.10.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा के0जी0एम0यू0 के कम्युनिटी मेडिसिन एण्ड पब्लिक हेल्थ विभाग के अन्तर्गत बंथरा में हॉस्पिटल भवन व हॉस्टल भवन के निर्माण कार्य संबंधी प्रायोजना की अनुमोदित लागत के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि से कार्यदायी संस्था द्वारा जी0एस0टी0 मद में जमा की गई धनराशि की स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- के0जी0एम0यू0 के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के अधीन ई0टी0एच0सी0सी0, बन्थरा हास्पिटल बिन्डिंग एवं आवासीय भवनों का आई0पी0एच0एस0 मानकानुसार उच्चीकरण हेतु अनुमोदित मूल/पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष निम्नलिखित शासनादेशों के माध्यम से रू0 609.00 लाख (समस्त धनराशि) की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है:-

क्रमांक	शासनादेश संख्या एवं दिनांक	धनराशि (रू0 लाख में)
1	3165/71-2-12-सीएमयू-118/2009 दिनांक 12.01.2013	197.76
2	27/2015/481/71-2-15-सीएमयू-118/2009 दिनांक 17.03.2015	277.46
3	31/2015/10921/71-2-15-सीएमयू-118/2009 दिनांक 25.03.2015	19.18
4	95/2018/2008/71-2-18-सीएमयू-118/09 दिनांक 08 जून	90.54

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	2018	
5	96/2018/2009/71-2-18-सीएमयू-118/09 दिनांक 08 जून 2018	24.06
	योग	609.00

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के 24- वृहद निर्माण मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष के0जी0एम0यू0 कम्युनिटी मेडिसिन एण्ड पब्लिक हेल्थ विभाग के अन्तर्गत आर0एच0टी0सी0 बंथरा में हॉस्पिटल भवन व हास्टल भवन के निर्माण कार्य संबंधी प्रायोजना की पुनरीक्षित अनुमोदित लागत रू0 609.00 लाख के सापेक्ष वर्ष 2018-19 में अवमुक्त धनराशि रू0 114.60 लाख से कार्यदायी संस्था द्वारा जी0एस0टी0 मद में जमा की गयी धनराशि रू0 9,82,769.00/- (रू0 नौ लाख ब्यासी हजार सात सौ उन्हत्तर मात्र) की प्रतिपूर्ति/स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि को बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 में नहीं रखा जायेगा।

(2) प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।

(3) प्रायोजना हेतु निर्गत उक्त शासनादेशों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कुलपति, के0जी0एम0यू0 की होगी। वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22.03.2021 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों तथा भवन निर्माण सम्बन्धी वित्तीय नियमों/परिनियमों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी अन्य प्रायोजना के लिए नहीं किया जायेगा तथा व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।

(6) आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा दो-दो माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर, कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जाय तथा कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिए पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाय।

(7) प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासम्भव कार्यदायी संस्था/सक्षम प्राधिकारी के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(8) जी0एस0टी0 के संदर्भ में विद्यमान नियमों के अधीन जी0एस0टी0 की वास्तविक धनराशि के आकलन से संतुष्ट हो जाने के उपरांत ही धनराशि का भुगतान किया जाएगा।

(9) द्विरावृत्ति से बचने हेतु यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत निर्माण कार्य की मदों के अंतर्गत कोई अन्य 'कर' का भुगतान नहीं किया गया है।

3- धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, के0जी0एम0यू0, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलो पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

5- प्रश्नगत अवमुक्त धनराशि रू0 9,82,769.00/- चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के पूंजी लेखा लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-06-किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 में प्रतिनिहित अधिकारों के अंतर्गत जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(मुमताज अहमद सिददीकी)
अनु सचिव।

संख्या- उपरोक्तानुसार-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. नोडल अधिकारी, बजट आंवटन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. वित्त अधिकारी, के0जी0एम0यू0, उ0प्र0 लखनऊ।
7. वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8. गार्ड फाइल।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

आज्ञा से

(मुमताज अहमद सिददीकी)
अनु सचिव।

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**
2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

Filename: 137
Directory: C:\Users\me-2\Documents
Template: C:\Users\me-2\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Title:
Subject:
Author: ajai
Keywords:
Comments:
Creation Date: 12/22/2021 12:02:00 PM
Change Number: 3
Last Saved On: 12/22/2021 12:04:00 PM
Last Saved By: me-2
Total Editing Time: 3 Minutes
Last Printed On: 12/22/2021 12:06:00 PM
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 4
Number of Words: 772 (approx.)
Number of Characters: 4,401 (approx.)